



बिहार सरकार
उद्योग विभाग

औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार
नियमावली

1981

प्रकाशित: १९८१ ई. १०/११/८१

बिहार, प्रथम दफा मुद्रित

१९८१

संख्या 1974 बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार अधिनियम 1974 (बिहार अधिनियम, 16, 1974) की धारा 14 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये बिहार सरकार निम्नलिखित नियमवाली बनाती है-

1. संक्षिप्त नाम- यह नियमवाली बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार नियमवाली 1981 कहलायेगी।

2. परिभाषा-अब तक कोई बात विषय में संदर्भ के बिरुद्ध न तो इस नियमवाली में-

(क) अधिनियम से अभिप्रेत है बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार 1974 (बिहार अधिनियम, 16, 1974)

(ख) धारा का अभिप्रेत है अधिनियम की धारा।

(ग) नियम का अभिप्रेत है नियमवाली की अनुसूची का पालन।

(घ) अन्य शब्दों और अभिव्यक्तियों के अर्थ होंगे जो अधिनियम में उक्ते लिये दिये गये हैं।

3. प्राधिकार के प्रबन्ध निदेशकों को अधिनियम की धारा 3 की उप धारा 14 के खण्ड (घ) के अधीन सरकार/प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कर्तव्यों का सौपा जाना प्रबन्ध निदेशकों को सरकार/प्राधिकार द्वारा निम्नांकित कर्तव्यों को सौपा जाता है -

- (1) भू-खण्डों के आवंटन एवं विखण्डन की शक्ति,
- (2) एक लाख रुपये तक प्लान्ट एवं मशीनरी की खरीदगी,
- (3) पचास हाज रुपये तक के स्थिर अस्थि पर खर्च की मंजूरी,
- (4) एक लाख रुपये तक की योजना की प्रशासकीय स्वीकृति।

4. अधिनियम की धारा (4)(1) के अधीन विकास क्षेत्र की घोषणा के बिरुद्ध आपत्ति - (1) अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने के कम-से-कम दो महीन पहले राज्य सरकार शासकीय गजट में और बिहार में प्रकाशित कम-से-कम दो अंग्रेजी और दो हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में अधिसूचना प्रकाशित करायेंगी। जिसमें अधिकृत रहेंगी कि ऐसी घोषणा करने का प्रस्ताव है और उसमें उस भूमि या उन भूमियों की सीमाएँ विनिर्दिष्ट रहेगी जिसके या जिनके संबंध में घोषण करने का प्रस्ताव है तथा संबंधित जिला दंडाधिकारी एवं

संबंधित औद्योगिक प्राधिकार ऐसी अधिसूचना का उसके सारांश की प्रतियाँ ऐसी रीति से जो वह उचित समझे अपने कार्यालय में और अपनी अधिकारिता के ऐसी अन्य स्थानों पर जो उनकी

राय में प्रस्तावित घोषणा से हितबद्ध या हितबद्ध हो सकने वाले, व्यक्तियों की प्राप्त सूचना देंगे के लिए उपयुक्त हो, प्रकाशित करेगा। इस अधिकारिता के अर्न्तगत यह इलाका भी है जिसमें उक्त भूमि का भूमियाँ पड़ती है।

(2) उक्त सीमाओं में शामिल किसी भूमि के हितबद्ध कोई व्यक्ति इस नियम के उप नियम (1) के अधीन अधिसूचना के प्रकाशन की अंतिम तारीख से 30 दिन बीतने के पहले किसी भी समय घोषणा किये जाने या उक्त सीमाओं के भीतर अपनी भूमि या उसके भाग के शामिल किये जाने पर आपत्ति कर सकेगा।

(3) इस नियम के उप नियम (2) के अधीन हरेक आपत्ति जिला दंडाधिकारी के पास लिखित रूप में दी जायेगी और जिला दंडाधिकारी आपत्ति करने वाले हरेक व्यक्ति को या तो स्वयं या अधिवक्ता के मारफत अपनी सुनवाई कराने का अवसर देगा और ऐसी अतिरिक्त जाँच करने के बाद और वह आवश्यक समझे आपत्ति फाईल

की जाने के तीन दिनों के भीतर उन पर अपनी सिफारिश देते हुए राज्य सरकार को एक रिपोर्ट भेजेगा।

(4) राज्य सरकार इस नियम के उप नियम (3) के अधीन जिला दंडाधिकारी की रिपोर्ट विचार करने और प्राधिकार का विचार प्राप्त कर लेने के बाद या तो अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन घोषणा करने का प्रस्ताव छोड़ देगी या इस नियम के उप-नियम (1) के अधीन अधिसूचना में विनिर्दिष्ट सीमाओं के भीतर पड़ने वाली संपूर्ण भूमि या उसके भाग या भागों के संबंध में घोषणा कर सकेगी।

(5) यदि इस नियम के उप नियम (2) द्वारा निहित समय बीतने के पहले कोई आपत्ति नहीं की गई तो जिला दंडाधिकारी राज्य सरकार को उस आशय की रिपोर्ट तुरन्त भेज देगा, और अब राज्य सरकार अधिनियम की धारा 4 को उप धारा (1) के अधीन घोषणा कराने की तुरन्त कार्यवाही कर सकेगी।

6. अधिनियम की धारा 4(2) के अधीन विकास क्षेत्र की किसी संरचना या भवन का निर्माण या परिवर्तन करने अथवा उसे तोड़ डालने के लिए प्राधिकार का अनुमोदन-

(1) प्राधिकार से अधिनियम की धारा 4 की उप धारा (2) में निर्दिष्ट अनुमोदन प्राप्त करने का इच्छुक हरेक व्यक्ति इस नियमावली से उपावद्ध फारम में प्राधिकार को लिखित आवेदन प्रस्तुत करेगा जिसके साथ इंजीनियरिंग की डिग्री या उसके समकक्ष योग्यता रखने वाले किसी इंजीनियर द्वारा तैयार उस निर्माण को जिसे तोड़ना हो, स्थल रेखा का (गाउन्ड) (प्लान) उत्पादन और अवस्थित तथा निर्देश भी दिये रहेगे।

(2) ऐसे आवेदन प्राप्त होने पर प्राधिकार ऐसी पूछताछ के बाद जो वह आवश्यक समझे, लिखित आदेश द्वारा ऐसी शर्तों और उपान्तरणों के अध्याधीन जो आदेश में विनिर्दिष्ट हो अनुमोदन देगा या देने से इन्कार कर देगा।

(3) प्राधिकार के आदेश के विरुद्ध 30 दिनों के अन्तर्गत अपील राज्य सरकार के पास हो सकता है और ऐसी अपील में राज्य सरकार का निर्णय अंतिम निर्णय होगा

(4) उद्यमियों द्वारा निर्धारित समय पर भूमि के मूल्य के किस्तों का नहीं देने या किस्तों के नहीं देने पर दंड स्वरूप दंड सूद वसूल करने का अधिकार प्राधिकार या प्रबन्ध निदेशक को होगा।

(5) उद्यमियों के द्वारा निर्धारित समय पर उद्योग स्थापित नहीं किये जाने या उद्योग स्थापित करने की दिशा में ठोस कदम नहीं उठाने पर प्राधिकार या प्रबन्ध निदेशक भू-खण्डों का विखण्डन ही सिर्फ न करने उनके द्वारा जमा किये गये किस्तों को भी जब्त कर सकता है।

(7) अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्राधिकार के वार्षिक बजट का उपस्थापन -

(1) आगामी वित्त वर्ष के लिए प्राधिकार का वार्षिक बजट तैयार किया जायगा और निर्माण के आजमाईशी कार्यक्रम सेवाओं के लिए उपबंध तथा अन्य किया कलापों के साथ तीन प्रतियों में राज्य सरकार के पास प्रति वर्ष 15 अक्टूबर, तक उपस्थापित किया जायेगा।

(2) प्राधिकार के आय-व्ययक का प्राक्कलन यथासंभव प्राधिकार के आय के यथार्थ मूल्यांकन जिसमें अधिनियम की धारा 7 की उप-धारा (1) के खंड (क) के अधीन ऐसे अनुदान कर्ज अग्रिम आदि भी शामिल हैं जिन्हें राज्य सरकार में आगामी वर्ष प्राधिकार को देने का संकेत किया हो तथा अधिनियम की धारा 3 की उप-धारा (4) के खंड - "क" तथा "घ" एवं धारा 6 की उप-धारा (3) के अधीन राज्य सरकार द्वारा प्राधिकार को सौंपे गये कार्य को पूरा करने हेतु खर्च सिन्नहित हो पर निर्भर करेगा।

(3) कोई खर्च जिसका बजट में उपबंध नहीं हो या जो अधिनियम की धारा 8 की उप-धारा (1) के अधीन जारी किये गये राज्य सरकार के निर्देश के विरुद्ध हो राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं किया जाएगा।

(4) राज्य सरकार प्राधिकार द्वारा समर्पित बजट में अधिनियम की धारा 8() के उपबंधों के अर्न्तगत निदेश देकर संशोधित कर सकती है।

(5) प्राधिकार एक वृहत लेखा शीर्षक से दूसरे में या किसी वृहत लेखा शीर्षक के भीतर निधि का पुनर्विनियोग मंजूर कर सकेगा। परन्तु राज्य सरकार से अनुमोदन के बिना ऐसी नई स्कीमों पर खर्च के लिए निधियों का पुनर्विनियोग नहीं किया जायेगा जो तबज में शामिल नहीं की गई हो।

8. अधिनियम की धारा 5 के अधीन प्राधिकार की स्थापना- प्राधिकार 840 रु० और उसके उपर अधिकतम मासिक वेतन वाले पदों का सृजन उन पर नियुक्ति तथा प्रोन्नति राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के बिना नहीं करेगा।

9. अधिनियम की धारा 14 (घ) के अधीन प्राधिकार द्वारा राज्य सरकार को रिपोर्ट और विवरण का उपस्थापन- (1) प्राधिकार प्रति वर्ष 30 जून को अन्त तक राज्य सरकार द्वारा विहित किये जाने वाले फारम में उसे रिपोर्ट वर्ष के दौरान अपने कर्तव्यों, शक्तियों और उत्तरदायित्वों के संबंध में एक वार्षिक रिपोर्ट उपस्थापित करेगा। रिपोर्ट में वस्तुगत लक्ष्यों की उपलब्धि और अनुभूत कठिनाइयों को कार्यानात्मक विवरण भी दिया रहेगा।

(2) राज्य सरकार समय-समय पर प्राधिकार के कार्यों को विनिर्दिष्ट मदों के संबंध में रिपोर्ट माँग सकेगी और प्राधिकार नियमित समय के भीतर ऐसी रिपोर्ट पेश करेगा।

10. अधिनियम की धारा 14(इ) के अधीन राज्य सरकार द्वारा निदेशन सरकार समय-समय पर अधिनियम के लक्ष्यों की पूर्ति के लिए सिद्धान्त अध्याचित करते हुए प्राधिकार को खास तौर से निम्नलिखित संबंध में निदेशन जारी अधिकृत कर सकेगी-

- (क) प्राधिकार द्वारा हाथ में दिये जाने वाले विकास कार्य का स्थापना
- (ख) हाथ में लिये जाने वाले विभिन्न विकास कार्यों की प्राथमिकता
- (ग) उस क्षेत्र में औद्योगिक यूनिटों को दी जाने वाली सेवाओं का स्वरूप और उनके लिए प्रभार फीस
- (घ) प्राधिकार द्वारा किये जाने वाले ऐसे नगरपालिका और अन्य कृत्यों का स्वरूप और सीमा जो राज्य सरकार समय-समय पर प्राधिकृत करें
- (इ) भूमि के मूल्य निर्धारण भू-आवंटन किस्तों की वसूली आदि विषयों से संबंधित नीति निर्धारण।

11. औद्योगिक प्राधिकार को सलाह देने के लिए स्कीनिंग समिति का गठन प्राधिकार अपनी स्कीमों के आयोजन और निरूपण संबंधी कार्यक्रम के कार्यान्वयन में परामर्श देने तथा स्कीमों के कार्यान्वयन में मदद देने के लिए समितियाँ नियुक्त कर सकेगा।

12. अधिनियम की धारा 14 (क), (ख) और (ग) के अधीन अधिक्रमण और अप्राधिकृत संरचनाओं का हटाया जाना तथा भवनों का गिराया जाना

प्राधिकार या प्रबन्ध निदेशक प्राधिकार की भूमि पर अधिक्रमण के हटाये जाने तथा अप्राधिकृत भवनों और संरचनाओं के गिराये जाने के संबंध में तत्समय बिहार भूमि अधिग्रहण अधिनियम या किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन शक्तियाँ मिलने पर मामलों के निवटारे से संबद्ध अधिनियमों और उनके अधीन बताये गये नियमों के उपबंधों के मार्ग दर्शन प्राप्त करेगा।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

ह0/- अस्पष्ट

विशेष सचिव।

वि0स0मु0(उद्योग) 44-सी0ले0-1,00022-7-1985--कमला लाल